न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम नं. – 2025/02
मुकदमा नम्बर 06/2025

दर्ज दिनांक–07.01.2025

नवीन कुमार पुत्र विष्णु कुमार जाति महाजन निवासी प्रेमसुख कॉलोनी, नागेश्वर बगीची के पास सीकर तहसील सीकर जिला सीकर।

बनाम

1. तहसीलदार(भू.अ.) नवलगढ जिला झुन्झुनू(राज.)
2. भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ जिला झुंझुंनू

वकील आवेदक : – श्री सुनिल कुमार, श्री प्रभातीलाल
अनावेदक सं. 1 लगा.2 – एक पक्षीय

प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 16.01.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराणा की सरहद में भूमि खसरा नं. 837 रकबा 0.38 हैक्टेयर की सीमाओं के विवाद का विनिश्चय करके आवेदक की कृषि भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार नपती करके आवेदक की कृषि भूमि की चारो सीमाओं को निश्चित कर आवेदक के खर्चे पर स्थायी सीमाचिन्ह परिनिर्मित करवाने का तहसीलदार नवलगढ को आदेश प्रदान करे।

प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदकगण बावजूद समयक तामिल अनुपस्थित रहे इसलिये इस प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदारो को अपनी कृषि जोत पर सीमाज्ञान व स्थायी सीमा चिन्ह कायम किये जाने का पूर्ण अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र बाबत रिकॉर्ड मे दर्ज अनुसार सीमाज्ञान किया जाकर,पत्थरगड्डी किये जाने का स्वीकार किया जाता है, राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराणा की सरहद में भूमि खसरा नं. 837 रकबा 0.38 हैक्टेयर की सीमाओं के विवाद का विनिश्चय करके आवेदक की कृषि भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार नपती करके आवेदक की कृषि भूमि की चारो सीमाओं को निश्चित कर आवेदक के खर्चे पर स्थायी सीमाचिन्ह परिनिर्मित करवाने का तहसीलदार नवलगढ को आदेश प्रदान किया जाता है। सीमाज्ञान व पत्थरगडी हेतु नियमानुसार शुल्क आवेदक द्वारा जमा करवाये जाने पर नियमानुसार आदेश की पालना सुनिश्चित कर दी जावे।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्व आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे सीमाज्ञान करते हुये ,पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 16/01/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुंनू